

विवरणी

CS-04-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार ~~कुन्चम~~


~~मांड्या~~ पिता - ~~चैतन मांड्या~~ को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के ~~पिता रामेश्वर मांड्या~~ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~पाकरखहार खाता सं० 62 खोटे सं० रकबा 1.3070~~ भूमिका वर्ष 2014-15 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ~~रामेश्वर मांड्या ने लिखित रूप में आवेदन दिया~~ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त ~~कोई दस्तावेज नहीं~~ अन्य है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।


राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार ~~एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं~~ है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशांसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~कुन्चम मांड्या~~ पिता - ~~चैतन मांड्या~~ ग्राम - ~~पाकरखहार~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पाकरखहार	61	62	—	1.3070

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित


अंचल अधिकारी,
बोलबा।


अंचल अधिकारी,
बोलबा।